केदार मीणा बनाम गोविन्द बिल्डर प्रोजेक्ट
91/2024

16/8/24 पुकारी गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। परन्तु अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से। प्रार्थी का पत्र आदेश धारणी आदेश पत्रावली में लगाया जाता है। पत्रावली एकल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से करने बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Pradu

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या:...../2024

1. केदार मीणा पुत्र रामू मीणा
2. कांति पत्नि सीताराम
3. कालू पुत्र सीताराम
4. गोपाल पुत्र मोत्या
5. प्रभुनारायण पुत्र रामू
6. प्रेम देवी पत्नि तोफान
7. बाबूडा पुत्र मोत्या
8. बाबूलाल पुत्र शोला
9. रामधन पुत्र मोत्या
10. शंकरलाल पुत्र सीताराम
11. सुरज्ञान पुत्र शोला
12. हनुमान पुत्र जगन्नाथ।

समस्त जाति–मीणा समस्त निवासीगण–बोडया की ढाणी, ग्राम बीलवाकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द बिल्डर प्रोजेक्ट जरिये प्रोपराईटर बद्रीनारायण गुप्ता पुत्र जगदीश नारायण डगायच जाति–महाजन निवासी–13–14, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

स्थगन प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:16:07 IST
Reason: SelfAttested